

राजस्थान विधान सभा

आठवां सत्र

कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2017

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री मोहन लाल गुप्ता, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2011-2012) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 74वां प्रतिवेदन;
- 2- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2012-2013) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 75वां प्रतिवेदन;
- 3- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन एवं प्रसारण निगम लिमिटेड तथा जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2012-2013) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 76वां प्रतिवेदन;
- 4- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन एवं प्रसारण निगम लिमिटेड तथा जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-2014) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 77वां प्रतिवेदन;
- 5- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-2014) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 78वां प्रतिवेदन;
- 6- राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-2014) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 79वां प्रतिवेदन;
- 7- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-2014) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 80वां प्रतिवेदन;
- 8- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-2014) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 81वां प्रतिवेदन;
- 9- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2002-2003) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 के 96वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 82वां प्रतिवेदन;
- 10- राजस्थान वित्त निगम(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-2007) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 के 100वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 83वां प्रतिवेदन;

जारी..2..

3. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्री घनश्याम, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

- (1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के उपखण्ड मुख्यालय नादौती में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने बाबत् ।
- (2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के उपखण्ड मुख्यालय नादौती की ग्राम पंचायत गढ़मोरा में गौशाला निर्माण करवाये जाने बाबत् ।

(II) श्री सुरेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र हवामहल (जयपुर) के वन विहार स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उर्दू साहित्य ऐच्छिक विषय स्वीकृत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(III) श्री मनोज कुमार, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर (जिला-चूरु) के उपखण्ड मुख्यालय राजगढ़ में राजकीय महिला महाविद्यालय खोले जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

4. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-2018

प्रथम अवस्था

अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-2018 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा ।

(विभिन्न दलों के सचेतकों/नेताओं द्वारा दी जाने वाली
सूची के अनुसार बोलने की अनुमति दी जायेगी)

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 16 मार्च, 2017